राजस्थान राज्य

बनाम

बाबू राम

जून 5,2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और डी.के. जैन, जे.जे.]

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985:

धारा 50[1] - "किसी भी व्यक्ति की तलाशी" - जिसका अर्थ है - अभिनिर्धारित: आरोपी के पास मौजूद बैग की तलाशी के मामले में, धारा 50 की उपयोगिता नहीं है।

शब्द और वाक्यांश:

"अभिव्यक्ति "किसी भी व्यक्ति की तलाशी", स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50{1} में प्रयुक्त होती है-का अर्थ"

अभियुक्त एक थैला ले जा रहा था। उक्त थैला की तलाशी लेने पर प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया। अभियुक्त को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 17 के तहत दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन न करने के आधार पर उसे बरी करने का निर्देश दिया।

राज्य द्वारा दायर अपील में, यह तर्क दिया गया था कि तलाशी आरोपी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके पास मौजूद थैला की थी और इसलिए, उच्च न्यायालय ने गलती से माना कि अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया था।

इस प्रश्न पर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 की उपधारा [1] में आने वाले "किसी व्यक्ति की तलाशी" शब्द का क्या अर्थ है, अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने की अनुमति देते हुए न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित किया:

1.1. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में "व्यक्ति" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। क़ानून की व्याख्या के बुनियादी सिद्धांतों में से एक शब्दों को उनके स्पष्ट, शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ के अनुसार समझना है। यदि वह इसके विपरीत है, या असंगत है, क़ानून का कोई स्पष्ट इरादा या घोषित उद्देश्य, या यदि इसमें कोई बेतुकापन, प्रतिकूलता या असंगतता शामिल होगी, तो व्याकरणिक अर्थ अवश्य होना चाहिए ऐसी असुविधा से बचने के लिए संशोधित, विस्तारित या संक्षिप्त किया जाए, लेकिन इससे आगे नहीं। [पैरा 6 और 7] [1942-सी, ई, एफ़]

जुगलकिशोर सराफ बनाम रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड, एआईआर (1955) एससी 376, पर आधारित.

क्रेज़ ओन स्टेटयूट लॉं । सातवाँ संस्करण। पृष्ठ 83-85 और वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा उल्लेखित किया गया है।

1.2. एक थैला, ब्रीफकेस या ऐसी कोई वस्तु या पात्र, इत्यादि, किसी भी परिस्थिति में, मनुष्य के शरीर के रूप में नहीं माने जा सकते। उन्हें एक अलग नाम दिया गया है और ऐसे उनकी पहचान की जा सकती है। उन्हें यद्यपि दूर से भी मनुष्य के शरीर का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। एक व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के आधार पर, वह अलग-अलग आकार, आयाम या वजन के बैग, एक ब्रीफकेस, एक सूटकेस आदि जैसी किसी भी संख्या में वस्तुओं को ले जा सकता है। इसलिए, इन अनुच्छेदों को अधिनियम की धारा 50 में आने वाले "व्यक्ति" शब्द के दायरे में शामिल करना संभव नहीं है। पवन कुमार के मामले में फैसले को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार बरी होना स्पष्ट रूप से अस्थिर है।[पैरा 9 और 13] [943-डी, एफ; 945-ए-बी]

एच. पी. राज्य बनाम पवन कुमार, [2005] 4 एस. सी. सी. 350 और पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, [1999] 6 एस. सी. सी. 172, पर निर्भर।

1.3 हालाँकि, उच्च न्यायालय में पहले अपील के समर्थन में अन्य बिंदुओं पर बहस की गई थी, लेकिन केवल अधिनियम की धारा 50 का

अनुपालन न करने के आधार पर अपील की अनुमति दी गई। इसमें चुनौती के अन्य आधारों की जांच नहीं की गई। इसलिए, उच्च न्यायालय अन्य आधारों पर, अधिनियम की धारा 50 के कथित गैर-अनुपालन की तुलना में, जिसका मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है, अपील पर नए सिरे से सुनवाई करेगा। [पैरा 13] [945-बी-सी]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 1097/2002.

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 20.2.2002 से एस. बी. आपराधिक अपील सं. 338/1987

अपीलार्थी की ओर से नवीन कुमार सिंह, मुकुल सूद, अरुणेश्वर गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत जे. द्वारा दिया गया था।

1. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को इस अपील में चुनौती दी गई। प्रत्यर्थी (इसके बाद 'अभियुक्त' के रूप में संदर्भित) द्वारा की गई अपील स्वीकार की गई। उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती सत्र न्यायाधीश, बालोत्रा द्वारा सत्र मामले No.10/86 में पारित आदेश दिनांक 31.8.1987 को दी गई थी, जिसके द्वारा अभियुक्त को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषमुक्त किया गया था, (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित), उसे अधिनियम की धारा 17 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया और उसे 10 साल

के लिए कठोर कारावास से गुजरने और चूक शर्त के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई।

2. उच्च न्यायालय ने इस आधार पर बरी करने का निर्देश दिया कि अधिनियम की धारा 50 के आज्ञापक प्रावधान की पालना नहीं हुई है । उच्च न्यायालय के समक्ष हालांकि कई बिंदुओं पर बहस की गई थी, प्राथमिक रुख अधिनियम की धारा 50 का गैर-अनुपालन था। उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि अनुपालन नहीं किया गया जैसा कि आरोप लगाया गया था। तदनुसार, प्रतिवादी को दोषसिद्धि और परिणामी सजा को अपास्त करके दोषमुक्त कर दिया गया था।

3. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि तलाशी अभियुक्त व्यक्ति की और बैग की, जो अभियुक्त के पास था, नहीं थी और इसलिए, उच्च न्यायालय ने गलती से अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताओं का पालन किया जाना आवश्यक था।

4. विवाद अधिनियम की धारा 50 और उसी के आसपास बदल जाता है (पर प्रासंगिक समय) निम्नानुसार हैः

"ऐसी शर्तें जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी:

(1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की

तलाशी लेने वाला है तब वह, ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो, बिना अनावश्यक विलम्ब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा ।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता ।

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा किन्तु अन्यथा यह निदेश देगा कि तलाशी ली जाए ।

(4) किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी ।"

5. जिस प्रश्न पर विचार आवश्यक है वह यह है कि अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (I) में आने वाले शब्दों "किसी भी व्यक्ति की तलाशी" का क्या अर्थ है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि धारा 50 में आने वाला "व्यक्ति" शब्द इसके दायरे में किसी भी बैग को भी शामिल करेगा, ब्रीफकेस या ऐसा कोई सामान या कंटेनर इत्यादि, ऐसे व्यक्ति द्वारा ले जाया जा रहा है और ऐसे बैग, ब्रीफकेस, लेख या

कंटेनर इत्यादि की तलाशी लेते समय धारा 50 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि इतना विस्तारित अर्थ देने का कोई औचित्य नहीं है और शब्द "व्यक्ति" का तात्पर्य केवल स्वयं व्यक्ति से है न कि उसके द्वारा ले जाया जा रहा कोई बैग, ब्रीफकेस, वस्तु या कंटेनर इत्यादि।

6. अधिनियम में "व्यक्ति" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 2 (XXIX) अधिनियम में कहा गया है कि यहां जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किया गया है, उनके अर्थ उस संहिता में क्रमशः दिए गए हैं। हालाँकि, संहिता "व्यक्ति" शब्द को परिभाषित नहीं करती है। संहिता की धारा 2 (वाई) में कहा गया है कि इसमें उपयोग किए गए और भारतीय दंड संहिता, 1860 में परिभाषित नहीं किए गए लेकिन परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ उस संहिता में क्रमशः दिए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में कहा गया है कि "व्यक्ति" शब्द में कोई भी कंपनी या संगठन या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं। शब्द की समान परिभाषा "व्यक्ति" को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (42) में दिया गया है। इसलिए, ये परिभाषाएँ विवाद को हल करने में कोई सहायता नहीं करती हैं।

10. पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, [1999] 6 एससीसी 172 में एक संविधान पीठ द्वारा अधिनियम की धारा 50 के दायरे और उदेश्य को विस्तृत रूप से परीक्षित किया गया था और रिपोर्ट के पैरा 12 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"12. इसके स्पष्ट अर्थ में, धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की तलाशी के मामले में लागू होगी, जो किसी परिसर आदि की तलाशी से अलग है। हालाँकि, यदि प्राधिकृत अधिकारी, बिना किसी पूर्व सूचना के, जैसा कि धारा 42 में वर्णित किया गया है कोई तलाशी करता है या किसी व्यक्ति की गिरफ़्तारी किसी अपराध में या संदिग्घ अपराध में अनुसन्धान के समान्य अनुक्रम के दौरान की जाती है और ऐसी तलाश की समाप्ति पर, अधिनियम के तहत एक प्रतिबन्धित वस्तु भी बरामद की जाती है, अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।"

11. पीठ ने अपने निष्कर्ष को रिपोर्ट के पैरा 57 में दर्ज किया और उप (1), (2), (3) और (6) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

"57. उपरोक्त तर्क और चर्चा के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

(I) जब कोई अधिकार प्राप्त अधिकारी या विधिवत प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति की तलाशी की पूर्व सूचना पर कार्य करता है, तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह संबंधित व्यक्ति को तलाशी के लिए

निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के धारा 50 की उपधारा (एल) के तहत उसके अधिकार के बारे में सूचित करे। हालाँकि, ऐसी सूचना आवश्यक रूप से लिखित रूप में नहीं हो सकती है।

(2) किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में संबंधित व्यक्ति को सूचित करने में विफलता एक आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह कारित करेगा।

(3) कि पूर्व सूचना पर, व्यक्ति को उसके अधिकारों से अवगत कराए बिना, यदि वह ऐसा चाहता है, एक अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा तलाशी की जाती है, तो वह तलाशी के लिए राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा और यदि वह ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो राजपत्रित अधिकारी के समक्ष या एक मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी करने में विफल रहता है, तो अन्वीक्षा दुषित नहीं हो सकेगी लेकिन अवैध वस्तु की बरामदगी को संदिग्घ करेगा और दोषसिद्धि को और अभियुक्त की सजा को दुषित करेगा, जहाँ अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए तलाशी के दौरान उसके पास से बरामद अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर, दोषसिद्धि की गई हो।

(6) कि उस संदर्भ में जिसमें संरक्षण को शामिल किया गया है धारा 50 में तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए, हम कोई राय व्यक्त

नहीं करते हैं कि क्या धारा 50 के प्रावधान आदेशात्मक है या निदेशात्मक हैं, लेकिन व्यक्ति को उसके अधिकार से सूचित करने में विफलता जैसा कि धारा 50 उप-धारा (1) से प्राप्त है, प्रतिषिद्ध पदार्थ की जब्ती संदिग्ध हो सकेगी और कानून की दृष्टि में अभियुक्त की ऐसी दोषसिद्धि और सजा बुरी और अस्थिर है।

12. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार, [2005) 4 एस.सी.सी. 350 में इन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया।

13. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के उपरोक्त फैसले के मद्देनजर, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अभियुक्त को बरी करना को सही नहीं ठहराते है। हालाँकि, हमने पाया कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के समर्थन में अन्य बिंदुओं पर बहस की गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने केवल अधिनियम की धारा 50 का पालन न करने के आधार पर अभियुक्त द्वारा दायर अपील को अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने चुनौती के अन्य आधारों की जांच नहीं की। इसलिए, हम अधिनियम की धारा 50 के कथित गैर-अनुपालन के अलावा अन्य आधारों पर अपील को नए सिरे से सुनने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में प्रेषित करते हैं, जिसका, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मामले के तथ्यों पर कोई लागू नहीं होता है।

14. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सरिता धाकड़ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।